



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 23.11.2025

- अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता ।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा लूट के मुकदमें में वांछित 04 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।
- अभियुक्तगण के कब्जे से लूट के 10,300/- रुपये , 01 आधार व 01 डीएल किया गया बरामद ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 20.11.2025 को आवेदक रोहित कुमार द्विवेदी पुत्र श्री महेन्द्र प्रसाद द्विवेदी निवासी मोहल्ला आलमपुर बाईपास कस्बा व थाना काल्पी जनपद जालौन द्वारा बोलेरो गाड़ी न0 UP 77AQ 6627 व ट्रक संख्या UP 92 AT 3839 पर सवार व्यक्तियों द्वारा वादी के ट्रक संख्या UP 92 AT 5404 की खिड़की खोल कर नीचे खींच लेना और डण्डों से मारपीट करते हुए मोबाईल व जेब में रखे 61,300 रुपये तथा वादी का डीएल, आधार कार्ड लूट ले जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी । जिस पर थाना सिकन्दरा पर मु0अ0सं0 189/2025 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था । घटना के सफल अनावरण हेतु लगातार अभियुक्तगण के मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी । इसी क्रम में आज दिनांक 23.11.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण 1. अखण्ड प्रताप चतुर्वेदी पुत्र अजय कुमार चतुर्वेदी, 2. अंकित पुत्र राजेश, 3. श्यामू पुत्र विश्वनाथ उर्फ शिशुपाल निवासीगण ग्राम सलेमपुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात व 4. दीपक सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र रामआसरे निवासी ग्राम सिलहरा थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात को मय लूट के 10,300 रुपये, 01 आधार कार्ड व 01 डीएल के साथ समय करीब 05.32 बजे बुधौली मोड से करीब 100 कदम की दूरी पर थाना क्षेत्र सिकन्दरा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. अखण्ड प्रताप चतुर्वेदी पुत्र अजय कुमार चतुर्वेदी निवासी ग्राम सलेमपुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात ।
2. अंकित पुत्र राजेश निवासी ग्राम सलेमपुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात ।
3. दीपक सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र रामआसरे निवासी ग्राम सिलहरा थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात ।
4. श्यामू पुत्र विश्वनाथ सिंह उर्फ शिशुपाल निवासी ग्राम सलेमपुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अखण्ड प्रताप चतुर्वेदी उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 0176/2020 धारा 393 आईपीसी थाना कुठौंद जनपद जालौन।
2. मु0अ0सं0 177/2020 धारा 307 आईपीसी थाना कुठौंद जनपद जालौन।
3. मु0अ0सं0 178/2020 धारा 25 आम्स एक्ट थाना कुठौंद जनपद जालौन।
4. मु0अ0सं0 333/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम) 1986 थाना कुठौंद जनपद जालौन।
5. मु0अ0सं0 189/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा कानपुर देहात।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकित उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 73/2019 धारा 323/324/325/504 आईपीसी थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 154/20 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 189/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा कानपुर देहात।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक सिंह व श्यामू उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 189/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण-

1. वादी से लूट के 10,300 रुपये
2. एक अदद आधार कार्ड वादी मुकदमा
3. एक अदद डीएल वादी मुकदमा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना सिकन्दरा पुलिस